अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री मोहनलाल प्रतिहार (आर.ए.एस)

तारीख दायरा
26.07.2019

तारीख फैसला
25/07/22

बउनवान

1– रामपाल पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी विनायका तह0 पीपल्दा जिला कोटा
2– बाबूलाल पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी विनायका तह0 पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
3– रामदयाल पुत्र मोहनीबाई जाति बैरवा निवासी निमोला तह0पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
4– गुड्डीबाई पुत्री मोहनीबाई जाति बैरवा निवासी निमोला तह0पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
5– गोबरी बाई पुत्री गोपाल जाति बैरवा निवासी उदपुरिया तह दीगोद जिला कोटा (राज0)
6– चमेली पत्नि जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी विनायका तह0पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
7– अनिल पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा जर्ये वली माता चमेलीबाई पत्नि जगन्नाथ निवासी विनायका तह. पीपल्दा।
8– सुनील पुत्र जगन्नाथ पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा जर्ये वली माता चमेलीबाई पत्नि जगन्नाथ निवासी विनायका तह. पीपल्दा।
9– शानु पुत्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी विनायका तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
10– राजकन्ता पुत्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी विनायका तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
11– ज्योति पुत्री जगन्नाथ जाति बैरवा जर्ये वली माता चमेलीबाई पत्नि जगन्नाथ निवासी विनायका तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
12– बद्री पुत्र पॉचू जाति बैरवा निवासी विनायका तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
13– राधेश्याम पुत्र पॉचू जाति बैरवा निवासी विनायका तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
14– लटूरी पुत्री औंकार जाति बैरवा निवासी विनायका तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
15– प्रभु पत्रु हिरिया जाति बैरवा निवासी विनायका तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
16– कल्याण पुत्र गणपत जाति बैरवा निवासी विनायका तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
17– बिनुकुमार पुत्र अनोख जाति बैरवा निवासी रामपुरिया तह0 पीपल्दा।
18– कमलेश पुत्री अनोख जाति बैरवा निवासी रामपुरिया (रजोपा)तह0 पीपल्दा।
19– गीता पुत्री गणपत जाति बैरवा निवासी रामपुरिया (रजोपा)तह0 पीपल्दा।

– प्रार्थीगण

बनाम

1– लटूर पुत्र मॉग्या उर्फ मांगीलाल जाति बैरवा निवासी विनायकॉ तह0 पीपल्दा,जिला कोटा।
2– दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा।

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2029–2032 में सेटलमेन्ट से पूर्व प्रार्थीगण के पिता एवं दादा हिरा उर्फ हिरिया पुत्र अगरा जाति बैरवा निवासी विनायका तह0 पीपल्दा जिला कोटा के खातेदारी में जमाबंदी ग्राम खेडली महाराजा तह0 पीपल्दा जिला कोटा में ख.न. 160 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

11 बिस्वा,ख.न. 166 रकबा 15 बीधा 15बिस्वा,ख.न.168 रकबा 5 बीधा 13 बिस्वा, ख.न. 187 6 बीधा 12 बिस्वा,ख.न.167 रकबा 5 बीधा 13 बिस्वा कुल किता 5 करबा 36 बीधा 3 बिस्वा आराजी दर्ज थी ओर स्पूर्ण पर प्रार्थीगण कब्जे काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त आराजी टलमेन्ट हुआ जिसमें मिलान क्षैत्रफल के अनुसार नये ख.न. निम्न प्रकार से बनाये गये जो लान क्षैत्रफल राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2060–से 2033 में स्पष्ट अंकन है।

र्तमान ख.न.	रकबा	गत ख.न.	रकबा
57	0.40	160	
69	0.97	166 मी0	15 बीधा 15 बिस्वा
270	0.39	166 मी0	
271	0.84	167	05 बीधा 13 बिस्वा
273	0.55	168	05 बीधा 13 बिस्वा
316	0.86	187	6 बीधा 3 बिस्वा
कुल किता	4.01 है0	कुल किता 05	36 बीधा 3 बिस्वा

यह है कि अप्रार्थीगण कम 1 लटूरलाल पुत्र मॉग्या उर्फ मांगीलाल जाति बैरवा निवासी विनायका के पिता माग्यां पुत्र पेमा कि खातेदारी सेटलमेन्ट से पूर्व खातेदारी मे रेवन्यू रेकार्ड सम्वत् 2029–2032 के अनुसार ग्राम नलावता तह0 पीपल्दा जिला कोटा में ख.न. 328 रकबा 6 बीधा, ख.न. 450 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा, ख.न. 526 रकबा 5 बीधा कुल किता 5 का रकबा कुल 11 बीधा 1 बिस्वा दर्ज है जो खेडली महाराजा व नलावता कि दोनो गॉवो कि सीमा मीली हुई है और उक्त स्थान पर दोनो गांव का काकड है सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त आराजी पर सेटलमेन्ट हुआ जिससे मिलान क्षैत्रफल अनुसार नये ख.न. निम्न प्रकार से बनाये गये।

वर्तमान ख.न.	रकबा	गत ख.न.	रकबा
88	0.39	450,452	1 बीधा 2 बिस्वा व 05 बिस्वा
762	0.50	526 मी0	5 बीधा
763	0.98	526 मी0	
766	1.68	525	8 बीधा 8 बिस्वा
767	0.43	526 मी0	
कुल किता 05	3.98 है0		14 बीधा 15 बिस्वा

इस प्रकार अप्रार्थी कम 1 लटूरलाल पुत्र माग्यां उर्फ मांगीलाल जाति बैरवा निवासी विनायका तह0 पीपल्दा जिला कोटा के खाते में ख.न. 526 की 5 बीधा भूमि थी जो सेटलमेन्ट ने बढाकर ख.न. 526 के नये ख.न. 762 रकबा 0.50 है0ख.न. 763 रकबा 0.98 है0 ख.न. 767 रकबा 0. 43 है0 कर दिया और सेटलमेन्ट ने जो नये ख.न. बनाये उसमे अप्रार्थीगण कम 1 के खाते मे रकबा बढाते हुए तीन ख.न. का रकबा 1.91 है0 कर दिया जो 12 बीधा के लगभग है जबकि पहले ख.न. 526 मे 5 बीधा ही था इस प्रकार 7 बीधा बडाया गया जो प्रार्थीगण के खाते से घटा कर बडाया है जो आज भी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है। इसी प्रकार ख.न. 525 का भी रकबा 8 बीधा 8 बिस्वा था जो अब नये ख.न. 766 बनाकर 1.68 है0 कर दिया है जो 10 बीधा 5 बिस्वा है इसमें भी 2 बीधा भूमि के लगभग बढा दिया है इस प्रकार कुल रकबा 9 बीधा से ज्यादा बडा दिया है जिसका सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नही था।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्राथीगणो के पक्ष में अप्रार्थीगणो के विरूद्व निम्न आशय की अस्थाई निषेघाज्ञा पारित कि जावे कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2029–2032 में सेटलमेन्ट से पूर्व प्रार्थीगण के पिता एवं दादा हिरा उर्फ हिरिया पुत्र अमरा जाति बैरवा निवासी विनायका तह0 पीपल्दा जिला कोटा के खातेदारी में जमाबंदी ग्राम खेडली महाराजा तह0 पीपल्दा जिला कोटा में ख.न. 160 रकबा 2बीधा 11 बिस्वा,ख.न. 166 रकबा 15 बीधा 15बिस्वा,ख.न.168 रकबा 5 बीधा 13 बिस्वा, ख.न. 187 रकबा 6 बीधा 12 बिस्वा,ख.न.167 रकबा 5 बीधा 13 बिस्वा कुल

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

5 करबा 36 बीधा 3 बिस्वा दर्ज थी व राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2041 से 2060 मे स्पष्ट है जिसको ख.न. 166 का रकबा 15 बीधा 15 बिस्वा था जिसका पुनः रकबा दुरस्ती कर न रेकार्ड जमाबंदी के नये दोनो ख.न. 269 व 270 का कमशः 0.97 व 0.39 है0 रकबा 1.36 ान पर 2.42 है0 व ख.न. 167 का रकबा 5 बीधा 13 बिस्वा था जिसके स्थान पर नये ख.न. 3 का रकबा0.55 है0 दर्ज कर दिया जो पुनः0.93 है0 दर्ज किया जावे व ख.न.187 मे भी टलमेन्ट पूर्व रकबा 6 बीधा 12 बिस्व था जिसमें नये ख.न. 316 में धटाकर 0.86 कर दिया जिसको 08 है0 किया जावे। इस प्रकार सभी ख.न.मे रकबा बडाकर 5.76 है0 पूर्व रकबे के मुकाबले दर्ज कये जाने तक रेकार्ड एवं मौका कि यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश प्रार्थीगणों के पक्ष में ाफैसयला प्रदान करे और किसी भी प्रकार कि मदाखलत एवं मजाहमत प्रतिवादीगण कम 1 व 2 तो स्वंय करे नही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे।

इसी प्रकार अप्रार्थी क. 1 के पास सेटलमेन्ट से पूर्व ख. 526 मे से मात्र 5 बीधा जमीन थी और मिलान क्षैत्रफल के मुताबिक 526 के ख.न. के नये ख.न. 762,763,767 बनाये जिनका कमशः रकबा 0.50 है0,0.98है0 व 0.43 है0 यानी तीनो का रकबा 1.91 है बनाया जो पूर्व रकबे से 1.11 है ज्यादा दर्ज किया जिसको दुरस्त कर पुनः पूर्व रकबे के मुताबिक 0.80 है0 दर्ज किया जावे तथा इसी प्रकार ख.न. 525 का भी रकबा 8 बीधा 8 बिस्वा दर्ज था जिसको नये ख.न. 766 बनाकर 1.68 है0 दर्ज कर 0.32 है0 ज्यादा दर्ज कर दिया जिसको कम करके नये ख.न. 766 मे रकबा दुरस्त कर 1.38 है0 दर्ज किया जावे।

इस प्रकार प्रतिवादी कम 1 के पूर्व रकबा के मुताबिक सम्पूर्ण रकबा 2.36 है0 कम दर्ज किये जाने तक बडे हुए रकबे के आधार पर प्रार्थीगणो के कब्जे कास्त को खुर्द–बुर्द नही करे बडे हुए रकबे के आधार पर मौका स्थिति पर पैमाईश नही करावे नही प्रतिवादी कम 2 स्वंय जाकर करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। प्रतिवादी कम 1 की ओर से जर्ये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के दादा व पिता के खाते की ग्राम खेडली महाराजा की साबिक ख.न. 160 रकबा 2 बीधा 11 बिस्वा, ख.न. 166 का 15 बीधा 15 बिस्वा,ख.न. 168 रकबा 5 बीधा 13 बिस्वा,ख.न. 187 रकबा 6 बीधा 12 बिस्वा ख.न. 176 रकबा 5 बीधा 13 बिस्वा उक्त स्मपूर्ण आराजी ग्राम खेडली महाराजा तहसील पीपल्दा में स्थित है। उक्त आराजी हाल ख.न. 257 रकबा 0.40 ख.न.269 का रकबा0.97 है0ख.न.270 रकबा 0. 39 है0ख.न.271 रकबा 0.84 है0ख.न.273 रकबा 0.55 ख.न. 316 रकबा 0.86 है0 बने है। उक्त नवीन ख.न. ग्राम खेडलीमहाराजा के कृषि आराजी प्रार्थीगण के संयुक्त खाते में दर्ज है। नवीन ख.न. कृषि आराजी पर प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी पत्र मे स्वंय को काबिज काश्त होना बताया है तथा अप्रार्थी लटूरलाल के पिता माग्या पुत्र पेमा बैरवा के खाते की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी ग्राम नलावता तह0 पीपल्दा में स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी लटूरलाल के खाते की कृषि आराजी अलग गांव में स्थित होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी कम 1 चलने योग्य नही हैं काबिल खारिज है।

अप्रार्थीगण कम 1 लटूरलाल के पिता माग्या पुत्र पेमा के साबिक खसरा न0 की कृर्षि आराजी ख.न. 328 की रकबा 6 बीधा ख.न. 450 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा ख.न.452 रकबा 5 बीधा ख.न. 525 रकबा 8 बीधा 8 बिस्वा ख.न. 526 रकबा 5 बीधा के नवीन ख.न.0 88,762,763,766,767 कायम किये गये है। जो नवीन ख.न. कृषि आराजी अप्रार्थी कम 1 लटूर लाल पुत्र माग्या के खाते दर्ज है। जिस पर लटूरलाल शांतिपूर्वक कब्जे काश्त चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण के खाते की संयुक्त आराजी से मिलना नही होकर अलग अलग है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी कम 1 के खिलाफ किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए संक्षम नही है। प्रार्थीगण की भूमि ग्राम खेडली महाराजा एवं अप्रार्थी कम 1 की कृषि आराजी ग्राम नलावता में है। प्राथीगण एवं अप्रार्थी कम 1 की कृर्षि आराजी अलग अलग ग्राम में स्थित है।प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी के कमी पूर्ति रकबे को केवल ग्राम खेडली महाराजा में स्थित आराजी से करवाने में काननून अधिकारी हो सकते है। अप्रार्थी कम 1 की खाते की भूमि से नही। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कृषि आराजी ग्राम खेडली महाराजा व नलावता के काकड के पास स्थित होना

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

ताया है जबकि ग्राम नलावता के साबिक ख.न. के नक्शा ट्रैस में नवीन ट्रैस व नवीन ख.न. ा में दोनो गावो की सीमा (कांकड) नही दर्शाया गया है। ग्राम नलावता की प्रार्थना पत्र में आराजी अप्रार्थी कम 1 लटूरलाल के खाते की आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा जबकि उक्त सम्पूर्ण आराजी अप्रार्थी कम 1 के काबिज काश्त होने से प्रार्थीगण के पक्ष में का संन्तुलन नही है। अप्रार्थी लटूरलाल के खाते वाले भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा माननीय ालय द्वारा पूर्व में जारी किये गये स्थगन की आड में अनाधिकृत रूप से वर्णित आराजी पर ध कब्जा कर लिया तो अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते स्थगन सव्यय ारिज फरमावे।

पत्रावली बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु निवेदन किया। इसी प्रकार वकील अप्रार्थीकम 1 द्वारा बहस के दोरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मनगढत एवं असत्य कथनो के आधार पर पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्रं दो ग्रामो की सीमा (कांकड) पर स्थित कृषि आराजी को सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थीगण के खाते से कम करके अप्रार्थी कम 1 के खाते दर्ज करने के कारण प्रस्तुत किया है। परन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा एक ग्राम के कुल चक मे से आराजी क्षैत्रफल को कम करके अन्य ग्राम के कुल चक में शामिल नही किया जा सकता है जबकि विवादित आराजी एक ही ग्राम मे न हो कर दो अलग अलग ग्रामो में स्थित है। प्रथमदृष्या यदि यह मान भी लिया जावे कि प्रकरण मे प्रार्थीगण की भूमि सेटलमेन्ट के दौरान कम करके अप्रार्थी कम 1 के खाते अन्य ग्राम में दर्ज कर दी गई है तो सेटलमेन्ट के दौरान हुई गलती को मूल वाद के निस्तारण के दौरान राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार के रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही किया जा सकता है। चूकि अप्रार्थी कम 1 लटूरलाल तन्हा रेकोडेड खातेदार है जिसके विरूद्व ताफैसला स्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा